

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 565 / 2022

दिनांक : 16.02.2022

श्री विनोद कुमार बागड़ी (RJ0714), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर) को दिनांक 19.12.2021 से 24.12.2021 तक 06 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 25.12.2021 से 02.01.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री बागड़ी की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

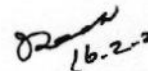

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 16.02.2022

कमांक:—स्था.बी.2(4)/84/2011/1100

दिनांक : 16.02.2022

प्रतिलिपि निम्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 864 दिनांक 29.01.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्री विनोद कुमार बागड़ी (RJ0714), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर)।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर)।


सहायक रजिस्ट्रार 16.2.2022